UPBJ010071112022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP2408

फौजदारी अपील संख्याः– 112/2022

प्रदीप कुमार **बनाम** **सरकार**

धारा– 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0

थानाः– नूरपुर, जिला बिजनौर।

आदेश

17–03–2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ख–15 नियत है। प्रार्थना पत्र ख–15 पर प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र ख–15 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो माननीय न्यायालय के समक्ष आज सनवाई हेतु नियत है। उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय में तथ्यों के साक्षीगण से प्रतिपृच्छा से पूर्व ही विवेचक का कथन अंकित हो गया था। इसलिये तथ्यों के साक्षीगण के साक्ष्य में आये विराधाभाष और कथित घटना के सम्बन्ध में कथित हथियारों के सम्बन्ध में विवेचक से प्रतिपृच्छा नहीं हो पायी थी। प्रार्थी इस सम्बन्ध में विचारण न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खण्डित कर दिया था। विवेचक संजय कुमार का कथन पी0डब्लू0–4 के रूप में दिनांक 03–12–21 को अंकित किया गया है और पी0डब्लू0–1 अंजलि से प्रतिपृच्छा 04–03–22 को व पी0डब्लू0–2 पुखराज से प्रतिपृच्छा दिनांक 15–03–22 को पूर्ण हो चुकी है। इसलिये न्यायहित में पी0डब्लू0–4 संजय कुमार विवेचक को अतिरिक्त साक्ष्य हेतु आहूत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन कथनों के साथ साक्षी सं0–4 संजय कुमार विवेचक को अतिरिक्त साक्ष्य/मजीद जिरह हेतु तलब करने की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत फौजदारी अपील प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 12–09–2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है। फौजदारी वाद सं0 31121/2022 मु0अ0सं0 514/2014 अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 थाना नूरपुर में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त

आक्षेपित आदेश दिनांक 12–09–2022 को पारित किया गया तथा अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र सिंह एवं उमराव उर्फ पप्पू को दोषसिद्ध किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ख–15 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0–4/विवेचक संजय कुमार की परीक्षा तथ्यों के साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा से पूर्व अंकित हो गये थे, जिस कारण तथ्यों के साक्षीगण के साक्ष्य में आये विरोधाभाष और कथित घटना के सम्बन्ध में कथित हथियारों के सम्बन्ध में विवेचक से प्रतिपरीक्षा नहीं हो पायी थी। अतः साक्षी सं0–4 को अतिरिक्त साक्ष्य हेतु तलब किया जाये। उल्लखनीय है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 341 दं0प्र0सं0 में दाखिल किया गया है, जबकि धारा 341 दं0प्र0सं0 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है बल्कि धारा 391 दं0प्र0सं0 में न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो अपील के दौरान न्यायालय द्वारा लिखित कारण बताते हुये अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकता है। इसी सम्बन्ध में अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। अपील के स्तर पर साक्षी पी0डब्लू0–4 की अतिरिक्त साक्ष्य/मजीद जिरह कराये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है तथा आवश्यक भी नहीं है। प्रार्थना पत्र ख–15 निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र ख–15 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04–04–2023 को पेश हो।

(हनी गोलय)

दिनांकः– 17–03–2023

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।